

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या - FP/CG/TRANS/148650/2021

1	परियोजना/स्कीम का स्थान													
(i)	राज्य/संघ शासित प्रदेश	- छत्तीसगढ़												
(ii)	जिला	- उत्तर बस्तर कांकेर												
(iii)	वन प्रभाग	- पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल												
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्र (हेक्टर में)	दुर्गुकोन्दल परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक - 634 एवं 640 रकबा 1.396 हे. <table border="1"> <thead> <tr> <th>कक्ष क्रं.</th><th>कुल रकबा (हे.में)</th><th>आवेदित रकबा (हे.में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>634</td><td>213.00</td><td>0.534</td></tr> <tr> <td>640</td><td>201.00</td><td>0.862</td></tr> <tr> <td colspan="2">योग :-</td><td>1.396</td></tr> </tbody> </table>	कक्ष क्रं.	कुल रकबा (हे.में)	आवेदित रकबा (हे.में)	634	213.00	0.534	640	201.00	0.862	योग :-		1.396
कक्ष क्रं.	कुल रकबा (हे.में)	आवेदित रकबा (हे.में)												
634	213.00	0.534												
640	201.00	0.862												
योग :-		1.396												
(v)	वन की कानूनी स्थिति	- आरक्षित वन												
(vi)	हरियाली का घनत्व	- 0.5 से 0.6 तक												
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल. एफ.आर.एल. - 2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल. - 4 मीटर भी संलग्न की जाए)	- प्रजातिवार एवं गोलाईवार वृक्ष गणना पत्रक पेज से तक संलग्न है ।												
(viii)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।	- प्रस्तावित स्थल पथरीली एवं समतल क्षेत्र होने के कारण भूक्षरण होने की संभावना नहीं है।												
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी ।	- प्रस्तावित क्षेत्र दुर्गुकोन्दल से पखांजूर रोड़ से लगा हुआ है तथा उक्त क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है ।												
x	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण,, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबंधित की जायें)	- नहीं ।												

xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है, यदि हाँ/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	- नहीं ।
xii	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित है । यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण - पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।	- प्रस्तावित भूमि में सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान एवं अन्य स्मारक स्थित नहीं है । 03-04 कि.मी. के अंतर्गत बंजारी माता का मंदिर स्थित है।
08	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है । यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ।	- आवेदक संस्थान जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम हाहालदूदी में पहुँचमार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार हेतु मांग की गई भूमि 1.396 हे. अपरिहार्य एवं न्यूनतम है ।
09	क्या अधिनियम उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यहि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंध कार्य अभी भी चल रहे हैं है ।	- नहीं ।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :-	
i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	- परियोजना के विरुद्ध राजस्व भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 1.40 हे. क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है ।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस - पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र ।	- संलग्न है ।
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।	- रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वन विभाग द्वारा मिश्रित रोपण किया जावेगा । परियोजना प्राक्कलन पेज क्रमांक से तक संलग्न है ।
vi	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय ।	- प्रतिपूरक वनीकरण योजना राशि 13,53,332.00 रुपये का तैयार की गई है।
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तांतरित किए जाए)	- चयनित स्थल में प्रतिपूरक वनीकरण के लिये निर्धारित क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति के रोपण हेतु उपयुक्त है, के संबंध में वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र पेज क्रमांक से तक में संलग्न है ।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	- संलग्न है ।

12	विभाग/जिला प्रोफाईल :-	-	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	-	7247.950 वर्ग कि.मी.
(ii)	जिले का वनक्षेत्र	-	2632.350 वर्ग कि.मी.
iii	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में आया गया कुल वन क्षेत्र	-	वनमण्डल अंतर्गत 1980 से अब तक कुल 13 प्रकरणों में 1378.64 हे. वनभूमि वनेत्तर प्रयोग में लाया गया है।
iv	1980 से जिला/प्रभार में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	-	-
(क)	दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि	-	वनमण्डल अंतर्गत वनभूमि स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध अब तक 703.50 हे. भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया गया है।
(ख)	वनेत्तर भूमि	-	नहीं।
(v)	2008 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	-	-
(क)	वनभूमि पर	-	विभिन्न परियोजनाओं के विरुद्ध रोपित किये गये क्षेत्रों के मूल्यांकन से प्रतिपूरक वनीकरण में वृद्धि हुई है।
(ख)	वनेत्तर भूमि	-	वनेत्तर भूमि पर वनमण्डल में क्षतिपूर्ति वनीकरण नहीं हुआ है।
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	-	प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की सिफारिश की जाती है। कांकेर जिले के तहसील दुर्गुकोन्दल के ग्राम - हाहालद्दी में खनिज लौह अयस्क उत्खनन क्षेत्र तक पहुँचमार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार हेतु प्रस्तावित किया गया है। दुर्गुकोन्दल - पखांजूर मार्ग से खदान में जाने के लिये अनुमोदित मार्ग सकरी है तथा जिसमें खदान से लौह अयस्क परिवहन हेतु मार्ग के चौड़ीकरण एवं खान में कार्यरत मशीनों के लिये विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक आवश्यकता को देखते हुये उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जाना आवश्यक है।

तारीख : 20.10.2022

स्थान :- भानुप्रतापपुर

(श्री जाधव श्रीकृष्ण ए.एन.एस.)

(भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी

पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल

भानुप्रतापपुर